

पत्र सं०-5/पी०(नई यो०)-05/2025- 57(5)ब स्वा०

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
राँची।

राँची, दिनांक: 02.01.2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के तहत सदर अस्पताल, धनबाद के उन्नयन की योजना हेतु कुल 11,92,54,992/- (ग्यारह करोड़ बानबे लाख चौवन हजार नौ सौ बानबे) रुपये मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प संख्या-477(5) दिनांक-21.08.2024, स्वीकृत्यादेश संख्या-22(5)ब योजना दिनांक-30.07.2025 एवं कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक-3386(नि) दिनांक-24.12.2025 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के तहत सदर अस्पताल, धनबाद के उन्नयन की योजना हेतु अधोलिखित तालिका के अनुरूप कुल 11,92,54,992/- (ग्यारह करोड़ बानबे लाख चौवन हजार नौ सौ बानबे) रुपए मात्र की राशि आवंटित की जाती है:-

(राशि रुपये में)

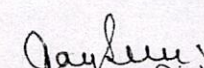
क्र०	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश पत्रांक एवं तिथि	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	एकरारनामा + निगम का संचालन अनुदान की राशि	अबतक आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि
1	सदर अस्पताल, धनबाद के उन्नयन की योजना	22(5)ब यो० 30.07.2025	14,47,56,900	11,92,54,992	0	11,92,54,992	11,92,54,992

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश की सभी शर्तें यथावत् रहेंगी। झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा योजना का क्रियान्वयन स्वीकृत्यादेश में अंकित सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

3. योजना हेतु व्यय का विकलन राज्य योजना बजट शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-110-अस्पताल तथा औषधालय- 48-जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण-01-जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (विपत्र कोड-20एस-4210-01-110-48-01-05-45) अन्तर्गत उपबंधित राशि से होगा।


(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव


(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

4. इस योजना हेतु आवंटित किए जाने वाले राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल, राँची होंगे, जो राशि का एकमुश्त पुस्तांतरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण लिमिटेड, राँची के पी०एल० खाता-मुख्यशीर्ष-8448-स्थानीय निधि जमा-120-अन्य निधियाँ में करेंगे।

5. इस सम्पूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

6. राशि की निकासी राँची कोषागार, राँची से होगी।

7. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक-2561 वि०, दिनांक-17.04.98 एवं 1800(वि), दिनांक-15.07.2003 एवं सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य आदेश के आलोक में होगा।

8. राशि निकासी के पूर्व विपत्र/चेक पर आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख किया जाएगा एवं यह प्रमाणित किया जाएगा कि प्रस्तुत विपत्र/चेक प्रशासनिक स्वीकृत राशि एवं आवंटित राशि के अन्तर्गत है। कार्यकारी एजेन्सी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता योजना की वित्तीय/भौतिक समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो। राशि की निकासी पारित विपत्र के आधार पर की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में राशि की अग्रिम निकासी नहीं की जाएगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

10. जिस शीर्ष के अन्तर्गत राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अन्तर्गत व्यय भारित करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं योजना के कार्यकारी एजेंसी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अन्तर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के अभियन्ताओं का दायित्व होगा।

12. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के संबंधित अभियन्ता इससे आश्वस्त हो लेंगे कि योजना का कार्यान्वयन Jharkhand PWD Code-2012 के सुसंगत नियमों के अधीन किया गया हो, इसके पश्चात ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जाएगा। योजना में किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान की स्थिति में निगम के संबंधित पदाधिकारी/अभियन्ता पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे।

(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव

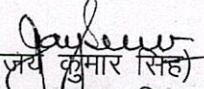
(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

57(S)ब.
02.01.2026

13. कार्य एजेन्सी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा योजना का प्रगति प्रतिवेदन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक विभाग को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जाएगा।

विश्वासभाजन,


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

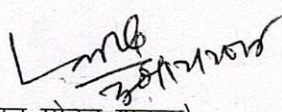
ज्ञापांक: 57(5)ब

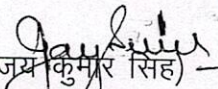
राँची, दिनांक: 02.01.2026

प्रतिलिपि:

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची।
2. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची।
3. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
4. उपायुक्त, धनबाद।
5. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची।
6. सिविल सर्जन, धनबाद।
7. कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची।
8. कोषागार पदाधिकारी, राँची।
9. माननीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
10. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव


(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

57(5)ब,
02.01.2026



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 5-P-NS-05/2025/57(5)B

दिनांक - 05-Jan-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 42100111048010545	84207	RNCMED013	119,254,992.00
	4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं		PRABHAT KUMAR	रुपये ग्यारह करोड बयानवे लाख चौपन हजार नौ सौ बयानवे
	110 - अस्पताल तथा औषधालय		C.S.CUM	
	48 - जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण		C.M.O.RANCHI	
	01-जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित			
	05 - निर्माण		45 - निर्माण कार्य	
	State Scheme			

State Scheme : STATE HEALTH INFRASTRUCTURE STRENGTHENING & UPGRADATION UPTO DISTRICT
Central Scheme : N/AVEL(1691)



योग: 119,254,992.00

क्रमिक योग:

रुपये ग्यारह करोड बयानवे लाख चौपन हजार नौ सौ बयानवे

(AJAY KUMAR SINGH)

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

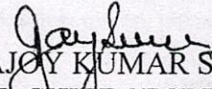
वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
मुख्य शीर्ष-4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं & 110 - अस्पताल
तथा औषधालय & 48 - जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S42100111048010545	Total
					निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ranchi	RNCMED013	Prabhat Kumar	C.S.Cum C.M.O.Ranchi	₹11,92,54,992.00 (84207)	₹11,92,54,992.00

कुल आवंटित राशि :- ₹11,92,54,992.00 (ग्यारह करोड वयानवे लाख चौपन हजार नौ सौ वयानवे) रूपये
मात्र।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए


(JOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY